महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-30/2019/528/क0नि0प्र0/26-3-2019-18(109)/2018

प्रेषक

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण विभाग — लखनऊः दिनांकः 10 जून 2019
कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ

विषयः केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना(पी0एम0ए0जी0वाई0) के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत सभी नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा विशेषकर अनुसूचित जाति के लिये आय व अन्य असमानताओं को कम करते हुये उनके सामाजिक,आर्थिक,शैक्षिक एवं न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के उदेश्य से वर्ष 2011 की जनगणना एवं क्षेत्र दृष्टिकोण (Area Approach) के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवो में निवासरत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सामान्य आबादी के समकक्ष लाने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना(पी0एम0ए0जी0वाई0) का संचालन किये जाने हेतु गांवों का चिन्हीकरण तथा उनके समग्र विकास का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) के संचालन हेतु समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग तथा उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

...2..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) योजना के दिशा निर्देशों के आलोक में योजना का संचालन किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तदनुसार योजना का संचालन किये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4- आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं सहयोग से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रभावी कार्यान्वयन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करा लिया जायेगा।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-30/2019/528(1)/क.नि.प्र./26-3-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग,उ0प्र0शासन।
5. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
14. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।

..3..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0।
16. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
17. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।
18. महाप्रबन्धक (नोडल अधिकारी) उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।
19. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उत्तर प्रदेश।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-30/2019/528/क0नि0प्र0/26-3-2019-18(109)/2018
दिनांक 10 जून 2019 का संलग्नक।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना(पी0एम0ए0जी0वाई0) के संचालन हेतु दिशा-निर्देश।

1. पृष्ठ भूमि:- अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत सभी नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा विशेषकर अनुसूचित जाति के लिये आय व अन्य असमानताओं को कम करते हुये उनके सामाजिक,आर्थिक,शैक्षिक एवं न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देष्य से वर्ष 2011 की जनगणना एवं क्षेत्र दृष्टिकोण (Area Approach) के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवो में निवासरत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सामान्य आबादी के समकक्ष लाने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना(पी0एम0ए0जी0वाई0) के अन्तर्गत प्रदेश के 724 गांवों का चिन्हीकरण करते हुये उनके समग्र विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. आदर्श ग्राम का विजनः-

आदर्श ग्राम, एक ऐसी संकल्पना है जिसमें लोगों को विभिन्न बुनियादी सेवायें देने की परिकल्पना की गई है ताकि समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो और असमानतायें कम से कम रहें। इन गांवों में वह सब ऐसी अवसंरचना होगी और इसके निवासियों को ऐसी सभी बुनियादी सेवाओं की सुविधा मिलेगी जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिये आवश्यक हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा वातावरण मिल सके।

3. योजना के मुख्य उद्देश्य:-

3.1 योजना का उद्देश्य 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चुनिंदा गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है, ताकि वह अपनी संभाव्यताओं का पूरा उपयोग कर सके तथा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकेः-

(क) पर्याप्त अवसंरचनाः-

इस योजना के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सभी अपेक्षित अवसंरचना की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

(ख) सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधारः-

निगरानी योग्य संकेतकों के रूप में ज्ञात पहचानशुदा सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार किया जाना है, ताकि अनुसूचित जाति और गैर- अनुसूचित जाति जनसंख्या में असमानता समाप्त की जा सके और संकेतकों का स्तर कम से कम राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाया जाए। विशेष तौर पर गरीबी रेखा से नीचे के सभी अनुसूचित जाति के परिवारों को भोजन एवं जीवन यापन की सुरक्षा मिलनी चाहिए, अनुसूचित जाति के सभी बच्चे माध्यमिक स्तर तक अपनी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शिक्षा पूरी करें, मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर के सभी कारणों का समाधान किया जाना चाहिए और कुपोशण, विषेशतः बच्चों एवं महिलाओं के संदर्भ में,की घटनाओं को समाप्त किया जाना चाहिए।

3.2 योजना का क्रियान्वयनः-

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में योजना के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए 50 निगरानी योग्य संकेतक 10 कार्यक्षेत्रों से संबंधित है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

क. कार्यक्षेत्र (Domain)

1-पेयजल एवं स्वच्छता

2-शिक्षा

3-स्वास्थ्य एवं पोषण

4-सामाजिक सुरक्षा

5-ग्रामीण मार्ग एवं आवास

6-बिजली एवं स्वच्छ ईधन

7-कृषि पद्धतियां आदि

8-वित्तीय समावेशन

9-डिजिटलीकरण (Digitization)

10-आजीविका एवं कौशल विकास:

4. निगरानी योग्य संकेतक (Monitorable Indicatiors)

4.1 इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य, 10 विभिन्न कार्यक्षेत्रों के अन्तर्गत निम्नलिखित 50 निगरानी योग्य संकेतकों में सुधार लाना हैः-

Sl. No क्र.सं.	Domain/Particulars of Monitorable indicators डोमेन/निगरानी सकंकेतकों का विवरण	Benchmark बेंचमार्क	Socring System अंक प्रणाली
1.	पेयजल और स्वचछता Drinking Watert and Sanitation		
1.1	Whether adequate sustainable drinking water sources to cover the village age available? (Yes/No) क्या ग्राम को कवर करने के लिए पर्याप्त पेयजल संसाधन उपलब्ध हैं (हां/नहीं)	हां 100 % नहीं- 0 %	2 0
1.2	% of households provided with clean drinking water स्वच्छ पेयजल प्रदत्त परिवारों का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1.3	% of households having Individual Household Latrines (IHHLs) अलग-अलग परिवार शौचालय (आईचएचएल) वाले परिवारों का प्रतिशत	100% <100%	2 0
1.4	Have toilets been provided in all schools and Anganwadis in the village? (Yes/No) क्या गॉवों में सभी स्कूलों और ऑगनवाड़ियों में शौचालय हैं। (हॉ/नहीं)	हॉ–100 % नही–0 %	2 0
1.5	Whether people are still defecating in the open in the village? (Yes/No) क्या गांवों में लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं। (हॉ/नहीं)	हॉ–100 % नही–0 %	2 0
1.6	% of drains available along all internal roads सभी आंतरिक सड़कों के साथ जुड़ी नालियों का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0
1.7	% of existing drains functioning मौजूदा कार्यरत नालियों का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0
1.8	% of solid and liquid waste being disposed of effectively ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रभावशाली ढंग से निपटान करने का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0
2.	शिक्षा **Education**		
2.1	% of children (6-10years), both boys and girls, attending primary schools प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले बालक और बालिकाओं (6-10 वर्ष) दोनों का प्रतिशत	100% <100%	2 0
2.2	% of children (11-13 years), both boys and girls, attending middle school मिडिल स्कूलों में जाने वाले बालक और बालिकाओं (11-13 वर्ष) दोनों का प्रतिशत	100% <100%	2 0
2.3	% of children (14-15 years), both boys and girls, attending secondary school माध्यमिक स्कूलों में जाने वाले बालक और बालिकाओं (14-15 वर्ष) दोनों का प्रतिशत	100% <100%	2 0
2.4	% of children (16-17 years), both boys and girls, attending higher secondary school उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जाने वाले बालक और बालिकाओं (16-17 वर्ष) दोनों का प्रतिशत	100% <100%	2 0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.5	% of children (18-23 years), both boys and girls, attending post higher secondary education उच्चतर माध्यतिकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर रहे बालक और बालिकाओं (18-23 वर्ष) दोनों का प्रतिशत	100% <100%	2 0
2.6	% of SC children (out of those attending school & eligible) receiving pre-matric scholarship मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले एससी छात्रों का प्रतिशत(मैट्रिकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर रहे ओर पात्र छात्रों में से)	100% <100%	2 0
2.7	% of SC children (out of those pursuing post matric education and eligible) receiving post-matric scholarship प्रतिशत अनुसूचित जाति के बच्चे (पोस्ट मैट्रिक का पीछा करने वालों में से शिक्षा व पात्र) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करना	100% <100%	2 0
3.	**स्वास्थ्य और पोषण Health and Nutrition**		
3.1	% of eligible households covered under any Health Protection Scheme किसी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत शामिल पात्र परिवारों का प्रतिशत	100% <100%	2 0
3.2	Is an emergency Ambulance facility available on call? (Yes/No) क्या कॉल करने पर आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है (हॉ/नहीं)	हॉ–100 % नही–0 %	2 0
3.3	% of pregnant women who are severely anaemic गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जो गंभीर रूप से अरवत है	0% >0%	2 0
3.4	% of institutional deliveries in the village during the last one year पिछले एक वर्ष के दौरान गांव में संस्थागत प्रसूतियों का प्रतिशत	100% <100%	2 0
3.5	% of low birth weight children born during the last one year पिछले एक वर्ष के दौरान जन्में कम वजन के नवजात बच्चों का प्रतिशत	0% >0%	2 0
3.6	% of full immunization of children (< 1 year) बच्चों (1<वर्ष) के पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत	100% <100%	2 0
3.7	% of underweight children (0-5 years) in the village गॉवों में कम वजन वाले बच्चों (0-5 वर्ष) का प्रतिशत	0% >0%	2 0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.8	How many pregnant women died during the last one year? पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई?	कोई नही	2
3.9	How many children (< 1 year) died during the last one year? पिछले एक वर्ष के दौरान कितने बच्चों (1<वर्ष) की मृत्यु हुई?	कोई नही	2
3.10	% of persons with communicable diseases getting treatment as per protocol प्राटोकॉल के अनुसार उपचार प्राप्त कर रहे संक्रामक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिशत	100% <100%	2 0
3.11	Whether all Anganwadis are constructed? (Yes/No) क्या सभी ऑगनवाड़ियों का निर्माण किया गया है? (हॉ/नहीं)	हॉ–100 % नही–0 %	2 0
4.	**सामाजिक सुरक्षा Social Security**		
4.1	% of eligible women provided with Widow Pension विधवा पेंशन प्राप्त पात्र महिलाओं का प्रतिशत	हॉ–100 % नही–0 %	2 0
4.2	% of eligible persons provided with Old Age Pension वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	हॉ–100 % नही–0 %	2 0
4.3	% of eligible persons provided with Disability Pension विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत पेंशन	हॉ–100 % नही–0 %	2 0
5.	**Rural Roads and Housing** **ग्रामीण सड़कें और आवास**		
5.1	Is the village connected by all-weather roads? (Yes/No) क्या गॉव को पक्की सड़कों के साथ जोड़ा गया है? (हॉ/नहीं)	हॉ–100 % नही–0 %	2 0
5.2	% of internal roads that are CC/brick top/ Pakka/Tiled आंतरिक सड़कों का प्रतिशत जिन पर सी.सी./ब्रिक टॉप/पक्की/टाइलें लगायी गयी है।	>75% 50-75% <50%	2 1 0
5.3	% of households living in achcha/unsafe houses कच्चे/असुरक्षित घरों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत	हॉ–100 % नही–0 %	2 0

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

6.	**बिजली और स्वच्छ ईधन** **Electricity and clean fuel**		
6.1	Whether the village has been electrified? (Yes/No) क्या गॉव में बिजली मौजूद है? (हॉ/नहीं)	हॉ–100 % नही–0 %	2 0
6.2	% of households having electricity connection परिवारों का प्रतिशत जिन्हें बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं।	>75% 50-75% <50%	2 1 0
6.3	% of households using at least one LED bulb परिवारों का प्रतिशत जो कम से कम एक एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं	>75% 50-75% <50%	2 1 0
6.4	% of households having gas connection परिवारों का प्रतिशत जिन्हें गैस कनेक्शन दिए गए हैं।	>75% 50-75% <50%	2 1 0
6.5	% of internal roads having street lights आंतरिक सड़कों का प्रतिशत जिन पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध है।	>75% 50-75% <50%	2 1 0
7.	कृषि पद्धतियां आदि **Agricultural Practices etc.**		
7.1	% of eligible farmers provided with Soil Health Card पात्र किसानों का प्रतिशत जिन्हें सॉयल हेल्थ मार्ड प्रदान किए गए हैं	>75% 50-75% <50%	2 1 0
7.2	Extent (in %) of organic farming practices adopted अपनाई गई जैविक खेती पद्धति की सीमा (प्रतिशत में)	>75% 50-75% <50%	2 1 0
7.3	Extent (in %) of watershed anagement practices adopted जल संग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन पद्धति अपनाए जाने की सीमा	>75% 50-75% <50%	2 1 0
8.	**वित्तीय निष्कर्ष Financial Inclusion**		
8.1	% of village population (> 5 years) having Aadhaar identification गांवों में रहने वाले लोगों(>5 वर्ष) का प्रतिशत जिनके पास आधार पहचान पत्र है	100% <100%	2 0
8.2	% of households having accounts in Banks/Post Office बैंकों/डाकघरों में खाता रखने वाले परिवारों का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0
8.3	% of eligible persons covered under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8.4	% of eligible persons covered under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत शामिल पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0
9.	डिजिटलीकरण **Digitization**		
9.1	Does the village have access to Internet connectivity? (Yes/No) क्या गॉव में इन्टरनेट के साथ जोड़ा गया है? ((हॉ/नहीं)	हॉ–100 % नही–0 %	2 0
9.2	Does the village have a Common Service Centre or Cyber Café? (Yes/No) क्या गांव में कॉमन सर्विस सेंटर या साइबर कैफे की सुविधा उपलब्ध है? (हॉ/नहीं)	हॉ–100 % नही–0 %	2 0
9.3	% of eligible persons who are digitally literate पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत जो डिजिटली शिक्षित है	>75% 50-75% <50%	2 1 0
10.	आजीविका और कौशल विकास **Livelihood and Skill Development**		
10.1	% of eligible youth undergoing skill development कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र युवकों का प्रतिशत	>75% 50-75% <50%	2 1 0
10.2	% of eligible youth who have been able to avail bank linked loans पात्र युवकों का प्रतिशत जो बैंक से ऋण प्राप्त कर सके हैं	>75% 50-75% <50%	2 1 0
10.3	% of households which have at least one member as a member of any SHG उन परिवारों का प्रतिशत जिनसे कम से कम एक सदस्य किसी स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) का सदस्य है	>75% 50-75% <50%	2 1 0
	अधिकतम अंक **TOTAL SCORE ACHIEVED**		100

चयनित ग्रामों में बेसलाइन आंकडे के संग्रह, प्रगति का अनुश्रवण व आदर्श ग्राम घोषित करते समय उक्त निगरानी योग्य संकेतकों का उपयोग किया जाएगा। कोई भी गांव अधिकतम 100 अंक प्राप्त कर सकता है।

5. दृष्टिकोण व कार्यनीति (Approach and Stratery)

5.1 चयनित ग्राम का समन्वित विकास प्रथमतया राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की वर्तमान में संचालित योजनाओं के अभिसरण से प्राप्त किया जाना है ताकि गुणवत्तापूर्ण सेवा मिले एवं आधारभूत संरचना विकसित हो सके। ग्राम की विषेश आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंतर-पूर्ति (gap-filling) वित्त पोषण इस प्रत्याशा के साथ की जायेगी कि राज्य सरकार द्वारा अथवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्तमान में संचालित राज्य/ केन्द्रीय योजनाओं से अनुदान प्राप्त करके तीन से चार गुना गैप फिलिंग निधि का अभिसरण (convergence) करके अंतर पूर्ति वित्त पोषण किया जाएगा।

5.2 अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के समन्वित विकास हेतु प्रत्येक फेज में एक नियत संख्या में ग्राम लिये जायेगें। उदाहरणार्थ PMAGY के पाइलट फेज हेतु 1000 ग्रामों व प्रथम फेज हेतु 1500 ग्रामों का चयन वित्त पोषण हेतु किया गया था। प्रत्येक फेज दो वर्ष का होगा परन्तु एक बार चयन के पश्चात ग्राम के सामाजिक-आर्थिक सूचकांक में सुधार हेतु अगले तीन वर्षो तक प्रगति का अनुश्रवण किया जायेगा।

5.3 यदि किसी फेज विशेष में ग्राम का चयन किया गया है और उसने एक निश्चत सीमा तक विकास कर लिया है तो उसमें और सुधार की आकांक्षा जागृत होगी। इसके दृष्टिगत ग्रामों को अनुवर्ती चरणों (Phases) में भी शामिल किया जा सकता है ताकि उनका एक से अधिक बार वित्त पोषण किया जा सके।

5.4 समन्वित विकास हेतु अभिसरण अत्यन्त आवश्क है। ग्राम, जनपद एवं राज्य स्तर पर पी0एम0ए0जी0वाई0 अभिसरण समितियों (Committee) का गठन किया जायेगा। ग्राम, जनपद एवं राज्य स्तर पर पी0एम0ए0जी0वाई0 अभिसरण समितियों की संरचना निम्नवत् होगीः-

क- <u>राज्य स्तरीय पी0एम0ए0जी0वाई0अभिसरण समितिः</u>

1-	प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग।	अध्यक्ष
2-	निम्नांकित विभागों के प्रतिनिधिः-	
	1- प्रमुख सचिव,नियोजन/नामित प्रतिनिधि	सदस्य
	2- प्रमुख सचिव,पंचायतीराज/नामित प्रतिनिधि	सदस्य
	3- प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास/नामित प्रतिनिधि	सदस्य
	4- प्रमुख सचिव,महिला एवं बाल विकास/नामित प्रतिनिधि	सदस्य
	5- प्रमुख सचिव,बेसिक शिक्षा/नामित प्रतिनिधि	सदस्य
	6- प्रमुख सचिव,स्वास्थ्य/नामित प्रतिनिधि	सदस्य
	7- प्रमुख सचिव,नगर विकास/नामित प्रतिनिधि	सदस्य
	8- प्रमुख सचिव,गृह/नामित प्रतिनिधि	सदस्य
	9- प्रमुख सचिव,लोक निर्माण/नामित प्रतिनिधि	सदस्य
	10-प्रमुख सचिव,सिंचाई/जल संसाधन/नामित प्रतिनिधि	सदस्य
	11-प्रमुख सचिव,ऊर्जा/नामित प्रतिनिधि	सदस्य
	12-प्रमुख सचिव,सूचना प्रौद्योगिकी/नामित प्रतिनिधि	सदस्य
	13-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3-	जनपदों के कार्यक्रम निदेशक जिनमें पी0एम0ए0जी0वाई0 ग्राम आच्छादित है।	सदस्य
4-	राज्य स्तरीय तकनीकी संसाधन सहायता संस्थान के प्रमुख	सदस्य
5-	राज्य स्तरीय दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
6-	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि	सदस्य
7-	प्रबन्धनिदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	सदस्य सचिव।

ख. <u>जिला स्तर पी0एम0ए0जी0वाई0अभिसरण समितिः</u>

1-	जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
2-	निम्नांकित विभागों के प्रतिनिधिः-	
	1-ग्राम्य विकास	जिला विकास अधिकारी
	2-महिला एवं बाल विकास	जिला कार्यक्रम अधिकारी
	3-शिक्षा	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ जिला विद्यालय निरीक्षक
	4- स्वास्थ्य	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
	5- पेय जल आपूर्ति	जिला विकास अधिकारी/अधिशाषी अभियन्ता (जल निगम)
	6- गृह	पुलिस अधीक्षक
	7- लोक निर्माण	अधिशाषी अभियन्ता
	8- सिंचाई/जल संसाधन	अधिशाषी अभियन्ता (नहर/नलकूप)
	9- खाद्य आपूर्ति	जिला पूर्ति अधिकारी
	10-ऊर्जा	परियोजना अधिकारी, नेडा
	11-कृषि	उपनिदेशक, कृषि
	12-विद्युत/डिस्कॉम	अधिशाषी अभियन्ता,विद्युत
	13-सूचना प्रौद्योगिकी	डी0आई0ओ0(एन0आई0सी0)
	14-अन्य सम्बन्धित विभाग, यदि हो	डी0एम0 द्वारा नामित अन्य संबंधित विभाग का प्रतिनिधि
3-	उन ग्रामों के ग्राम पी0एम0ए0जी0वाई0 कार्यक्रम निदेशक जिनके ग्रामों को आच्छादित किया जा रहा है।	
4-	दूरसंचार विभाग/बी0एस0एन0एल0 के प्रतिनिधि	जिला प्रबन्धक,बी0एस0एन0एल0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- राज्य स्तरीय तकनीकी संसाधन सहायता संस्था के प्रतिनिधि

6- जिलों के संयोजक बैंक का प्रतिनिधि — एल0डी0एम0

7- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम — सदस्य सचिव।

ग- ग्राम स्तर पी0एम0ए0जी0वाई0 अभिसरण समितिः

1- ग्राम का सरपंच- — अध्यक्ष

2- ग्राम पंचायत के सभी एस0सी0 सदस्य

3- ए0डब्ल्यू0डब्ल्यू0, आशा, ए0एन0एम0, इत्यादि

4- पंचायतीराज तथा लोक निर्माण विभाग के पदाधिकारी

5- एन0आर0आई0जी0ए0 के विलेज फील्ड वर्कर

6- विद्यालय का एक अध्यापक

7- अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि

8-ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण/पंचायतीराज)

9- राज्य स्तरीय तकनीकी संसाधन सहायता संस्था का एक प्रतिनिधि- विशेष आमंत्रित व्यक्ति,जब आवश्यक हो।

10- ग्राम पंचायत के अनुसूचित जाति के सदस्यों में से एक सदस्य — सदस्य सचिव

जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) द्वारा ग्राम पी0एम0ए0जी0वाई0 अभिसरण समिति का गठन उपरोक्तानुसार कराया जाएगा।

6. योजना के संघटकः-

6.1 योजनाओं का अभिसरण(Convergence)

योजनाओं का अभिसरण करके पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराने व सामाजिकए आर्थिक संकेतकों में सुधार सम्बन्धी योजना के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। बेसलाइन डाटा एवं निगरानी योग्य संकेतकों के आधार पर प्राप्त चयनित ग्राम विकास की कमी का ऑकडा राज्य व केन्द्र सरकार की वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के अभिसरण का आधार होगी। ग्राम के आधारभूत संरचनाओं व सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के विकास हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अभिसरण योग्य योजनाओं की संकेतात्मक सूची (Indicative List) संलग्नक-।। व संलग्नक-।।। पर उपलब्ध है।

6.2 गैप फिलिंग(अंतर-पूर्ति)- चयनित ग्रामों के विकास हेतु विशेष रूप से चिन्हित विकासात्मक आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति वर्तमान में केन्द्र व राज्य सरकार की योजना से नहीं हो सकती है, योजनान्तर्गत गैप फिलिंग फण्ड के अन्तर्गत ली जायेगी। अंतर पूर्ति घटक के अन्तर्गत मात्र गैर-आवर्तक गतिविधियां ही ली जायेगी। अंतर पूर्ति निधि के उपयोगार्थ एक संकेतात्मक सूची (Indicative List) निम्नानुसार है:-

1- पेयजल व स्वच्छता से सम्बन्धित आधारभूत संरचनाओं का विकास।
2- ठोस व द्रव अवशिष्ट-निपटान सुविधाओं का विकास।
3- विद्यालयों व आंगनबाडियों में शौचालयों का निर्माण और वृहद मरम्मत कार्य।
4- आंगनबाडियों का निर्माण।
5- सर्वऋतु सम्पर्क मार्ग (All weather road)
6- सोलर लाइट व स्ट्रीट लाइट की स्थापना।

7- ग्राम विकास योजना की तैयारी(Preparation of Village Development Plan) वी.डी.पी-

7.1 ग्राम विकास योजना तैयार करने का उद्देश्य चयनित ग्राम की एक ऐसी विस्तृत, वास्तविक एवं व्यवहारिक रूपरेखा तैयार करना है जिससे उक्त ग्राम का विकास 05 वर्षो की समय-सीमा में आदर्श ग्राम के रूप में हो सके। वी.डी.पी. तैयार करने के लिये शुरूआती बिन्दु सम्पूर्ण ग्राम के समस्त परिवारों/व्यक्तियों, जिनका हाउसहोल्ड (Household) सर्वे किया जाना है, की महत्वपूर्ण विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं का आंकलन करना है।

7.2 आवश्यकता आधारित आंकलन (Need Assessment) प्रपत्र ।,।।,।।।-क व ।।।-ख में प्रदर्शित होगा। प्रपत्र-। में ग्राम स्तरीय डाटा एवं प्रपत्र-।। में ग्राम स्तरीय आधारभूत संरचनाओं (Infrastructure) की आवश्यकता, प्रपत्र ।।।-क में परिवार/ व्यक्तिगत आवश्यकतायें प्रदर्शित होंगी। फार्मेट ।।।-ख, फार्मेट ।।।-क का संकलित रूप है, जो ग्राम स्तर पर परिवार/व्यक्ति की आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार प्रपत्र-।। व प्रपत्र-।।। सम्मिलित रूप से बिन्दु-4 पर अंकित प्रत्येक मॉनीटरेबल इण्डीकेटर (अनुश्रवणात्मक सूचकांक) हेतु सूचनायें प्रदर्शित करते हैं। प्रपत्र-।। एवं प्रपत्र-।।।-ख में कुल मिलाकर प्रत्येक निगरानी योग्य संकेतक के लिए अवसंरचनात्मक और परिवार/व्यक्तियों की आवश्यकताओं (अन्तर) को पूरा करने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना को दर्शाया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7.3 ग्राम विकास योजना (वी.डी.पी.) प्रपत्र- IV, V व VI पर तैयार की जानी है। प्रपत्र-IV व V पूर्व में प्रपत्र-।। व प्रपत्र-।।। ख की कार्य योजना का संकलन है। अतएव ये क्रमशः आधारभूत संरचनाओं एवं परिवार/ व्यक्तिगत आवश्यकताओं का वी.डी.पी. प्रदर्शित करते हैं। प्रपत्र-IV व V आवश्यकतायें पूरी करने के लिए माह में की जा रही प्रगति पर निगरानी रखेंगें।

7.4 आधारभूत संरचनाओं (Infrastructure) के नियोजन (Planning) में इस बिन्दु को भी ध्यान में रखा जाये कि उक्त कार्य हेतु निधियाँ (Fund) केन्द्रीय योजनाओं, राज्य योजनाओं व अनुसूचित जाति सब प्लान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA to SCSP) से भी प्राप्त की जा सकती हैं एवं इस तथ्य को प्रपत्र- IV में अंकित करना है। बिन्दु 4.1 पर सूचीबद्ध निगरानी योग्य संकेतक (Monitorable indicator)3.4, 3.5, 3.8, व 3.9 के संदर्भ में उक्त अन्तर (gap) के मात्र कारण का उल्लेख प्रपत्र-।।।-क VI ।।।-ख व V में करना है।

7.5 प्रपत्र-VI मॉनीटरेबल इण्डीकेटर्स की प्रास्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि यह प्रारम्भिक आवश्कता के आंकलन पर आधारित है तो प्रपत्र VI मानीटरेबल इण्डीकेटर्स की बेसलाइन स्थिति को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार जब भी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तब सामार्जिक, आर्थिक सूचकांकों में सुधार होगा और फार्मेट- VI को उसी के अनुसार अद्यतन (Update) किया जायेगा। यदि आवश्कताओं का आकलन(need assessment) प्रत्येक वर्ष किया जायेगा तब प्रपत्र VI को वृहद रूप से अद्यतन किया जायेगा परन्तु इस बीच प्रपत्र IV व V में प्रदर्शित मासिक प्रगति विवरण के आधार पर इसे प्रत्येक माह अद्यतन किया जायेगा।

7.6 आवश्यकता आकलन(need assessment) आंकडों का संग्रह (data collection) तथा वी.डी.पी. बनाने की सम्पूर्ण कार्यवाही ग्राम स्तरीय प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अभिसरण समिति (Village PMAGY convergence Committee) द्वारा की जायेगी। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित VDP जनपदीय प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अभिसरण समिति (District PMAGY convergence Committee) के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी। वी०डी०पी० का अनुमोदन करते समय District PMAGY convergence Committee द्वारा यह देखा जायेगा कि यह एक सुदृढ योजना है। ग्राम की आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता को संतृप्त करने हेतु अन्य योजनाओं से पर्याप्त एवं उपयुक्त अभिसरण (Convergence) किया गया है और यह मॉनीटरेबल इण्डीकेटर्स में इच्छित सुधार लायेगी। तत्पश्चात इसे ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का अंग बनाया जायेगा। अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के आंकलन के पश्चात उसका प्राक्कलन शासन स्तर से नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8.ग्रामों का चयन-

प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले ग्राम चयनित किये गये हैं।

9. वित्त पोषण (Funding)

9.1 केन्द्र सरकार द्वारा चिन्हित प्रत्येक नये ग्रामों हेतु रू0 21.00 लाख उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें से रू0 2.00 लाख चयनित ग्राम में गैप-फिलिंग क्रियाकलापों का सम्पादित करने हेतु होगी। शेष रू0 1.00 लाख केन्द्र, राज्य, जनपद व ग्राम स्तर पर तकनीकी संसाधन सहायता, प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन, जागरूकता उत्पन्न करने,प्रचार-प्रसार आदि तथा केन्द्र स्तर पर M I S के विकास एवं अनुरक्षण हेतु होगा। उक्त धनराशि केन्द्र, राज्य, जनपद व ग्राम स्तर पर 1:1:1:2 के अनुपात में वितरित की जायेगी। उक्त निधि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बजट से अथवा SCA to SCSP योजना के आधारभूत संरचना शीर्षक अन्तर्गत कन्वर्जेन्स द्वारा दी जायेगी।

9.2 राज्य सरकारों से यह प्रत्याशा है कि वे गैप अन्तर पूर्ति निधि का न्यूनतम 3 से 4 गुना केन्द्र पुरोनिधानित योजना व राज्य की योजनाओं से अभिसरण(कन्वर्जेन्स) करायेगी अथवा राज्यांश देगी, ताकि ग्रामों को आधारभूत संरचनाओं से संतृप्त किया जा सके।

9.3 पूर्व के चरणों में योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों के SCA to SCSP के आधारभूत संरचना शीर्षक अन्तर्गत कन्वर्जेन्स द्वारा सतत विकास हेतु रू0 10.00 लाख प्रति ग्राम की अतिरिक्त निधि प्रदान की जायेगी। उक्त धनराशि में से रू0 9.50 लाख का उपयोग प्रत्येक ग्राम में गैप-फिलिंग अवयव हेतु तथा रू0 0.50 लाख प्रति ग्राम का उपयोग केन्द्र, राज्य, जनपद व ग्राम द्वारा 1:1:1:2 के अनुपात में प्रशासनिक व अन्य मदों में किया जायेगा। उक्त वितरण सांकेतिक है। अन्तिम निर्णय शासन द्वारा आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा।

10. निधियों का प्रवाह (Flow of Fund)

10.1 योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जनपदों को दो किश्तों में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। अनुमन्य अनुदान के 50 प्रतिशत तक की प्रथम किश्त ग्राम के चयन के तत्काल पश्चात निर्गत कर दी जायेगी, ताकि क्षमता संवर्धन, जागरूकता, आवश्यकता का आकलन, वी0डी0पी0 की तैयारी एवं गैप-फिलिंग निधि से प्रस्तावित आधारभूत संरचना निर्माण सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ हो सके। प्रारम्भ में राज्य सरकार द्वारा जनपद प्रशासन को क्षमता संवर्धन, प्रशासनिक व्यय, जागरूकता हेतु धनराशि दी जायेगी एवं गैर खर्च प्रकृति के क्रियाकलापों का प्रारम्भ कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10.2 अन्तर पूर्ति (गैप फिलिंग) अवयव के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नोडल एजेन्सी के माध्यम से कार्यदायी संस्था को तब धनराशि निर्गत की जायेगी, जब जनपदीय पी0एम0ए0जी0वाई0 कन्वर्जेन्स समिति द्वारा चयनित ग्रामों की वी0डी0पी0 अनुमोदित कर दी जायेगी। जनपदीय समिति द्वारा अनुमोदित वी0डी0पी0 (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी) प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक द्वारा वी0डी0पी0 संकलित कर शासन को धनराशि आवंटन हेतु प्रेषित किया जाएगा।

10.3 भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त निर्गत करने के पूर्व केन्द्र स्तर की स्टीयरिंग सह अनुश्रवण समिति द्वारा राज्यों में इसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जायेगा। संतोषजनक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के पश्चात ही राज्यों को धनराशि निर्गत की जायेगी।

11. तकनीकी संसाधन सहयोग-

11.1 राज्य स्तर पर नामित संस्था द्वारा योजना हेतु तकनीकी संसाधन सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

11.2 इसी प्रकार राज्य व जनपद स्तर पर राष्ट्रीय ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान का राज्य ग्राम्य विकास संस्थान (SIRD)/ प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र ETCS) या किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्था, जो राज्य सरकार द्वारा चिन्हित हो, का चयन राज्य सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार तकनीकी संसाधन सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

11.3 उक्त संस्थायें अन्य बातों के अलावा निम्न कार्य करेगीः-

1. राज्य सरकार के अधिकारियों व जनपद स्तर के प्रमुख कार्मिकों का अभिमुखीकरण (Orientation)
2. विभिन्न स्तरों के प्रमुख कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करना।
3. सभी स्तरों पर योजना के नियोजन, क्रियान्वयन व अनुश्रवण सम्बन्धी गतिविधियों में शामिल प्रमुख कार्मिकों का प्रशिक्षण।

12. प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन-

पी0एम0ए0जी0वाई0 ग्रामों में केन्द्र व राज्य की प्रचलित योजनाओं के अभिसरण के क्रियान्वयन हेतु जो ग्राम की आवश्यकताओं, केन्द्र व राज्य की योजनाओं पी0एम0ए0जी0वाई0 ग्रामों के विकास के लिये प्रासंगिक है, का क्रमबद्ध सूचीकरण के चिन्हीकरण की आवश्यकता होगी तथा उसी के अनुरूप वी0डी0पी0 की तैयारी करनी होगी। उक्त के दृष्टिगत पी0एम0ए0जी0वाई0 के नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कार्य में संलग्न व्यक्तियों व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संस्थाओं में उपरोक्त सभी योजनाओं की मूल विशेषताओं के सम्बन्ध में एक स्पष्ट दृष्टि विकसित करनी होगी। राज्य सरकार द्वारा योजना के सभी स्तर पर कार्य कर रहे कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन करायी जायेगी।

13. जागरूकता सृजन एवं प्रचार-प्रसार-

चयनित ग्रामों में सम्बन्धित विकास खण्ड व जनपदों में सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) द्वारा जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ताकि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके। इसके अतिरिक्त स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण आदि के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों से सम्बन्धित सामाजिक संदेशों का प्रसार भी किया जा सकता है।

14. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति:-

14.1 योजना के सम्पूर्ण रूप से निर्देशन व अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा। राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता समाज कल्याण मंत्री द्वारा की जायेगी। समिति में योजना से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में जन प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जायेगा। समिति की संरचना एनेक्सर-VII पर संलग्न है।

14.2 सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में होगी परन्तु वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक करना आवश्यक होगा। समिति द्वारा निम्न कार्य किये जायेगें-

1. योजना के क्रियान्वयन में विस्तृत नीतिगत मुद्दों का निस्तारण व अभिसरण (convergence) सुनिश्चित करना।
2. योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण।
3. समय-समय पर योजना के क्रियान्वयन हेतु पूरक नियमावली का प्राख्यापन।

15. राज्य स्तर पर स्टीयरिंग सह अनुश्रवण समिति:-

15.1 राज्य स्तर पर स्टीयरिंग सह अनुश्रवण समितियों का गठन किया जायेगा जो निम्न कार्य सम्पादित करेंगी-

1. योजना के क्रियान्वयन में विस्तृत नीतिगत मुद्दों का निस्तारण व अभिसरण convergence सुनिश्चित करना।
2. योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण।
3. समय-समय पर योजना के क्रियान्वयन हेतु पूरक नियमावली का प्राख्यापन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

15.2 राज्य स्तर पर गठित होने वाली स्टीयरिंग सह अनुश्रवण समिति की संरचना फार्मेट VIII पर है। यह समिति प्रत्येक त्रैमास पर बैठक करेंगी परन्तु वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक करना आवश्यक होगा।

16. राज्य व ग्राम स्तर पर पी0एम0ए0जी0वाई0अभिसरण(convergence) समितियॉ-

16.1 पी0एम0ए0जी0वाई0 अभिसरण समितियॉ योजना के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगी।

16.2 अभिसरण समितियॉ ये सुनिश्चित करेंगी कि आवश्यकता आकलन (need Assessment) के अनुसार हुआ है तथा मासिक प्रगति का अनुश्रवण फार्मेट-IV,V व V तथा VI व VIII के अनुसार हो रहा है। संक्षेप में,अभिसरण समितियॉ योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण दोनो हेतु उत्तरदायी होंगी।

16.3 राज्य अभिसरण समिति की अध्यक्षता समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा की जायेगी एवं इसमें उन विभागों के सदस्य शामिल होंगे जिनकी योजना में अभिसरण हेतु आवश्यकता होगी। इसी प्रकार जनपदीय अभिसरण समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

16.4 ग्राम अभिसरण समिति की अध्यक्षता ग्राम प्रधान द्वारा की जायेगी एवं इसमें पंचायत के अनुसूचित जाति के समस्त सदस्य शामिल होंगे एवं लाइन डिपार्टमेन्ट, यथा-ऑगनबाडी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती आदि भी सम्मिलित होंगी। यह समिति ग्राम की आवश्यकता आंकलन (need Assessment) बेसलाइन डाटा का संग्रहण, ग्राम विकास योजना (VDP) का निर्माण एवं योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होगी। ग्राम अभिसरण समिति का सदस्य सचिव ग्राम पंचायत के अनुसूचित जाति के सदस्यों में से होगा,जो समिति की सहायता करेगा।

16.5 तीनों अभिसरण समितियों के संरचना से सम्बन्धित विवरण एनेक्सर-IX पर है। राज्य स्तर की अभिसरण समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास पर होगी, जबकि जनपदीय एवं ग्राम स्तरीय समितियों की बैठक प्रत्येक माह होगी ताकि योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो सके।

17. विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम निदेशक-

17.1 राज्य स्तर की स्टीयरिंग (परिचालन) सह अनुश्रवण समिति के सदस्य सचिव क्रमशः राज्य स्तर के कार्यक्रम निदेशक होंगे। इसी प्रकार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी कार्यक्रम निदेशक होंगे और इस कार्य में मुख्य विकास अधिकारी इसमें उनकी सहायता करेंगे। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान कार्यक्रम निदेशक होगा। कार्यक्रम निदेशक निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18. समय सीमा-

18.1 नवीन चयनित ग्रामों हेतु योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि निर्गत होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर व्यय की जायेगी तथा जिन ग्रामों में अतिरिक्त फण्डिंग की गयी है उनमें धनराशि निर्गत होने की तिथि के एक वर्ष के अन्दर व्यय की जायेगी, परन्तु अभिसरणात्मक (convergent) क्रियान्वयन कम से कम आगामी 03 वर्षो तक किया जायेगा ताकि आदर्श ग्राम के प्राप्त किये गये लक्ष्यों को बनाये रखा जाये एवं मॉनीटरेबल सूचकांकों में सुधार एवं स्थिरता आ सके।

19. अनुश्रवण व्यवस्थाः प्रगति रिपोर्ट का प्रेषण, अनुश्रवण, एम0आई0एस0 (Management Information system) मूल्यांकन व स्पेशल ऑडिट-

19.1 जनपद स्तर के कार्यक्रम निदेशक द्वारा प्रत्येक चयनित गॉव की फार्मेट- IV, V व VIII पर मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिला कार्यक्रम निदेशक फार्मेट-III पर MPR प्रेषित करेंगे तथा राज्य पी0एम0ए0जी0वाई0 कार्यक्रम निदेशक फार्मेट VIII पर MPR बनायेगें। I से VIII तक के सभी प्रपत्र एनेक्सर-X पर संलग्न है।

19.2 योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षा विभिन्न स्तर पर गठित समितियों द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

19.3 योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों का डाटा बेस व मॉनीटरेबल सूचकांको के बेसलाइन आंकडों को संगृहीतार्थ एक प्रभावशाली व केन्द्रीयकृत एम0आई0एस0 की व्यवस्था की जायेगी। पी0एम0ए0जी0वाई0 लागू होने के पश्चात इन सूचकांकों में सुधार का अनुश्रवण निश्चित समयान्तराल पर किया जायेगा। इस M I S का उपयोग विभिन्न योजनाओं के अभिसरण की समीक्षा हेतु किया जायेगा जिनका क्रियान्वयन ग्राम में किया जाना है साथ ही साथ गैप फिलिंग क्रियाकलापों के अनुश्रवण हेतु भी किया जायेगा।

19.4 योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि का उपयोग M I S के विकास व क्रियान्वयन हेतु किया जायेगा तथा निम्न मदों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी:-

1. योजना हेतु उपयुक्त M I S का विकास।
2. M I S के संचालन हेतु पर्याप्त दक्षता युक्त मानव शक्ति को लघु समय सीमा हेतु अनुबन्ध पर लेने हेतु।
3. विशेष आवश्यकता होने पर इण्टरनेट युक्त कम्प्यूटर सुविधाओं पर।

19.5 योजना का स्वतन्त्र मूल्यांकन ग्राम्य विकास या सामाजिक विज्ञान या प्रबंधन के क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्थाओं से कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

19.6 ग्राम सभा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के भाग 17 के अन्तर्गत PMAGY का सोशल आडिट कराया जायेगा।

20. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ग्रामों को राज्य व राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार-

योजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन के प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक राज्य के 03 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ग्रामों को (प्रत्येक 50 चयनित ग्रामों में एक) निर्धारित मानकों के आधार पर मंत्रालय द्वारा नामित समिति द्वारा चयन किया जायेगा। इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक चयनित ग्राम को रू0 3.00 लाख का पुरस्कार दिया जायेगा। इन चयनित ग्रामों में से 03 ग्रामों को राष्ट्रीय स्तर का रू0 10.00 लाख का पुरस्कार दिया जायेगा।

21. अन्य बिन्दुः-

21.1 योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में वी0डी0पी0 के अन्तर्गत कराये गये कार्य में खण्ड विकास अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि प्रश्नगत कार्य प्रथम बार कराया जा रहा है अथवा क्षतिग्रस्त होने के कारण दुबारा निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

21.2 योजना से संबंधित पत्रावली जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

21.3 जनपद स्तर पर समस्त अभिलेखों का रख-रखाव एवं अपेक्षित कार्यवाहियां जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा किया जाएगा।

21.4 जनपद के चिन्हित ग्रामों में ख्याति प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

संलग्नः- एनेक्जर-X (I से VIII के सभी प्रपत्र)

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।